/

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व)
(जिला कलक्टर),बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – डॉ.इंद्रजीत यादव, IAS.

अपील संख्या – 22/2025
जी.सी.एम.एस. सं. 2025/89

प्रार्थी/अपीलार्थी :–

श्री किशन लाल वैष्णव, निवासी 641 कर्मशील मार्ग, ब्रह्मपोल अन्दर, उदयपुर मो.नं. 7976699153

बनाम

अप्रार्थी /रेस्पोण्डेंट्स:–

तहसीलदार (लोक सूचना अधिकारी) कुशलगढ जिला बांसवाडा (राज.)

निर्णय

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

दिनांक :– 03–07–2025

प्रस्तुत मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी की ओर से सूचना चाहने हेतु धारा 6(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन दिनांक 09–04–2025 पर तहसीलदार (लोक सूचना अधिकारी) कुशलगढ जिला बांसवाडा द्वारा सूचना उपलब्ध नही के कारण अपीलार्थी की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय से नोटिस दिनांक 06–06–2025 को जारी किया गया एवं प्रत्यर्थी को नियत तिथी को अपना पक्ष रखने उपस्थित होने सूचित किया गया।

दिनांक 20.06.2025 को अपीलार्थी ने उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर लिखित में अवगत कराया कि विन्दु सं. 1, 3 से 11 का कोई जवाव व दस्तावेज प्राप्त नही हुआ है। विन्दु सं. 2 में प्रमाणित प्रति अप्राप्त है।

दिनांक 03–07–2025 को प्रत्यर्थी तहसीलदार (लोक सूचना अधिकारी) कुशलगढ जिला बांसवाडा की ओर से विभागीय प्रतिनिधि उपस्थित हुए एवं जवाब प्रस्तुत कर अवगत कराया कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.10.24 11:00:11 IST
Reason: SelfAttested

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर, बाँसवाड़ा (राज.)

अपीलार्थी को दिनांक 06.06.2025 जरिये रजिस्टर्ड डाक से बिन्दु सं. 1 से 11 तक की सूचना प्रेषित की गई है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं **तहसीलदार (लोक सूचना अधिकारी) कुशलगढ जिला बांसवाडा** के जवाब के संलग्न दस्तावेजो अवलोकन एवं उस पर मनन किया। अपीलार्थी द्वारा **तहसीलदार (लोक सूचना अधिकारी) कुशलगढ जिला बांसवाडा** से सूचना चाहने हेतु धारा 6(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन दिनांक **09–04–2025** जो संबंधित लोक सूचना अधिकारी के पते पर दिनांक 17.4.2025 को पहुंचा। प्रार्थी द्वारा उक्त आवेदन से 11 बिन्दुओं पर सूचना चाही गई है। **तहसीलदार (लोक सूचना अधिकारी) कुशलगढ जिला बांसवाडा** के अनुसार अपीलार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र से वांछित सूचना उनके कार्यालय द्वारा दिनांक 06.06.2025 से अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित की गई है। जिंसकी रसीद संलग्न है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का अवलोकन करने पर बिन्दु सं. 1 से चाही गई सूचना अस्पष्ट है। बिन्दु सं. 7 से वांछित सूचना विस्तृत एवं विशिष्टि विहिन है। बिन्दु सं. 9 से वांछित सूचना विशिष्टि विहिन है। बिन्दु सं. 10 से चाही गई सूचना विशिष्टि विहिन एवं सृजनात्मक है। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(1)(B) के अनुसार चाही गई सूचना में विशिष्टियाँ अंकित करना अपेक्षित है। प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) के परिपत्र क्रमांक प 3(22) प्रसु/ सू.अ.प्र./06 दिनांक 02.02.2009 के बिन्दु सं. 3 के अनुसार सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत लोक प्राधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना अपेक्षित नही है। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत ऐसी सूचनाऐं दी जा सकती हो जो लोक सूचना अधिकारी के पास मौजुद हो। **तहसीलदार (लोक सूचना अधिकारी) कुशलगढ जिला बांसवाडा** अनुसार अपीलार्थी को समस्त 11 बिन्दुओं पर सूचना उपलब्ध करवा दी गई है किन्तु अपीलार्थी अनुसार उक्त सूचनाऐं उन्हे प्राप्त नही हुई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.10.24 11:00:11 IST
Reason: SelfAttested

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (रा...

अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार की जाकर **तहसीलदार (लोक सूचना अधिकारी) कुशलगढ जिला बांसवाडा** को निर्देशित किया जाता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम की भावना के मद्देनजर अपीलार्थी को बिन्दु सं. 2 से 6, 8, 11 से वांछित सूचना उपलब्ध/ सूचना से पुनः अवगत करावे। बिन्दु सं. 1, 7, 9, 10 द्वारा वांछित सूचना अस्पष्ट, विस्तृत/ विशिष्टि विहिन/ सृजनात्मक होने से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित नही है।

निर्णय आज दिनांक **03–07–2025** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. इंद्रजीत यादव) **IAS.**
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
जिला कलक्टर, बॉसवाडा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.10.24 11:00:11 IST
Reason: SelfAttested